

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/2782

दिनांक : 29.8.11

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं० 47-48 की अनुपालना में नये आरक्षित औषधि वितरण केन्द्र में सिविल कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन।

संदर्भ :- राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक : प.17(14)चि.स्वा./2/09 जयपुर दिनांक 26.08.2011

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित स्वीकृति दिनांक 26.08.2011 (संलग्न) के क्रम में लेख है कि वर्ष 2011-12 में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं० 47-48 की अनुपालना में नये आरक्षित औषधि वितरण केन्द्र में सिविल कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद में राशि रु. 92.25 लाख (अक्षरे राशि बानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है। यह राशि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज को संलग्न अनुसार अग्रिम दी जानी है। इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त किया जाये तथा समायोजन नियमानुसार समय पर सुनिश्चित किया जाये।

इस बजट का उपयोग राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन द्वारा इनके पत्र क्रमांक RMSC/लेखा बजट/2011-12/178 दिनांक 10.08.2011 द्वारा सूचित अनुसार ही करना है तथा अंकित कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निर्देश :-

1. प्रत्येक कार्य/सामग्री हेतु आवंटित राशि अनुमान पर आधारित है तथापि इससे अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये तथा यदि सामग्री इससे कम लागत में उपलब्ध होती है तो उतनी ही राशि का व्यय किया जावे पूर्ण आवंटित राशि का नहीं।
2. आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पुनः आवंटन भी आई.एफ.एम.एस. की मैपिंग अनुसार किया जा सकता है।
3. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
4. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।
5. समस्त व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण मितव्ययता से किया जाना सुनिश्चित करावे तथा व्यय की सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवायें।

संलग्न :-

1. परिशिष्ट-1
2. संदर्भित स्वीकृति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/2783-88

दिनांक : 29.8.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : 178 दिनांक 10.08.11 के क्रम में आवंटन पत्र की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० सेवायें, राज० जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (जोन)।
5. प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन विवरण को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।
7. संबंधित कोषाधिकारी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।


Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur
Additional Budget Allotment for the year 2011-12 (Plan)

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of Office	Name of CHCs	No. of New DPC's	4210-01-796-(02)-[01] 28-Other Exp.
CMHO's				
1	Ajmer	Kekeri	1	2.25
		Vijaynagar	1	2.25
		Pushkar	1	2.25
2	Alwar	Khedli	1	2.25
		Behrod	1	2.25
3	Bharatpur	Bayana	1	2.25
4	Sikar	Shrimadhapur	1	2.25
		Khandela	1	2.25
		Fatehpur	1	2.25
5	Barmer	Dhorimana	1	2.25
		Chohtan	1	2.25
		Samdari	1	2.25
		Banytu	1	2.25
6	Bundi	Hindoli	1	2.25
		Nainwa	1	2.25
		Keshoray Patan	1	2.25
7	Bhilwara	Amervasi	1	2.25
		Bharama Ki Sareri	1	2.25
8	Dousa	Bandikui	1	2.25
9	Jaipur I	Chomu	1	2.25
10	Jaisalmer	Pokran	1	2.25
11	Karauli	Hindon	1	2.25
12	Pali	Jaitaran	1	2.25
		Bali	1	2.25
		Sumerpur	1	2.25
13	Sirohi	Shivganj	1	2.25
		Revdar	1	2.25
		Aburoad	1	2.25
14	Tonk	Devali	1	2.25
		Malpura	1	2.25
		Niwai	1	2.25
PMO's				
15	Bundi		1	2.25
16	Bhilwara		1	2.25
17	Karauli		1	2.25
18	Hiranmagri (Udaipur)		1	2.25
19	Kotputali (Jaipur)		5	11.25
20	Nasirabad		1	2.25
	Total		41	92.25

(Rs. Ninty Two lacs & Twenty five thousand only)

1. आर.एम.एस.सी. के पत्रांक 178 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार नये आरक्षित औषधि वितरण केन्द्रों पर सिविल कार्य हेतु एवं संदर्भित स्वीकृति दिनांक 26.08.2011 (प्रति संलग्न) अनुसार उक्त बजट आवंटन राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी को स्थानान्तरित करने हेतु अग्रिम रूप से आहरित करने हेतु दिया जा रहा है।
2. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
3. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।


Director (PH)
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: 017(14)विस्वा/2/09

जयपुर, दिनांक: 26/8/11

निदेश: 6(जन सेवा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

माहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बजट शीर्ष 4210-01-796--(02) [01] 28-विधि व्यय (आयोजना) में राशि रु0 225.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड पच्चीस लाख मात्र) का अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत कर राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटीज को स्थानान्तरित करने हेतु अग्रिम रूप से आहरित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है।

- (1) उक्त स्वीकृति राशि का उपयोग नवीन 100 डी.डी.सी. (प्रति डी.डी.सी.रु0 2.25 लाख की दर से) निर्मित करने हेतु ही किया जा सकेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत अग्रिम राशि का समायोजन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करावें।
- (3) उक्त स्वीकृत अतिरिक्त प्रावधान का समायोजन अनुपूरक अनुदान मांग/संशोधित अनुमान वर्ष 2011-12 में यथासमय कराया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त स्वीकृति वित्त(व्यय-1)विभाग की आई.डी.संख्या 101102903 दिनांक 26.08.11 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रति: पि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1-निदेशीय राशि, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2-निदेशन निदेशक(एनआरएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 3-निदेशीय लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 4-शासन उप सचिव, वित्त(व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5-वित्तीय सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 6-प्रशासकीय अधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7-ए.एल. पत्रागली
- 8-सहायक पत्रागली।

लेखाधिकारी